डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याःसम्बद्धन/1779/17
दिनांकः 05/05/2017

सेवा में,

सचिव,
डा0 राजेन्द्रवीर सिंह गर्ल्स इस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन
डडियामई,
शिकोहाबाद।

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 07.03.2017 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि दिनांक 28.02.2017 को ठा0 रघुपति सिंह फाउण्डेशन, 1711, शम्भूनगर(मयूर होटल के पास) शिकोहाबाद, फिरोजाबाद द्वारा संचालित डा0 राजेन्द्रवीर सिंह गर्ल्स इस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, डडियामई, शिकोहाबाद की गठित प्रबन्ध समिति को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। अनुमोदित प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष अर्थात् दिनांक 27.02.2020 तक है। अनुमोदित प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी/सदस्य निम्न हैः–

1. डा0 उमा रघुवंशी	:	अध्यक्ष
2. डा0 यशपाल सिंह	:	उपाध्यक्ष
3. डा0 अरविन्द कुमार	:	सचिव/प्रबंन्धक
4. श्रीमती अशोकलता	:	उपसचिव
5. श्री समर्थ सिंह	:	कोषाध्यक्ष
6. श्रीमती रमा कुमारी	:	आडीटर
7. डा0 प्रभा जोगटा	:	सदस्य
8. श्रीमती अवनि सिंह	:	सदस्य
9. डा0 शुभ्रा सिंह	:	सदस्य
10. श्री मुकेश कुमार सिंह	:	सदस्य
11. श्रीमती कल्पना चौहान	:	सदस्य
12. श्री योगेन्द्र सिंह	:	सदस्य
13. डा0 लतिका सिंह **(प्राचार्य)**	:	पदेन (सदस्य)
(शिक्षक प्रतिनिधि)	:	चकानुसार वरिष्ठता कम के एक वर्ष की
14. श्रीमती अंजना चौहान		अवधि हेतु।
(तृतीय श्रेणी कर्मचारी प्रतिनिधि)	:	चकानुसार वरिष्ठता कम में एक वर्ष की
15. श्री अशोक कुमार दुबे		अवधि हेतु।

भवदीय

प्राचार्य
डा. राजेन्द्र वीर सिंह
गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन
डडियामई, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)

उपकुलसचिव
(सम्बद्धन)

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याः सम्बद्धन/ 1740(76) /2015
दिनांक 15.5.2015

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य
डा0 राजेन्द्र वीर सिंह गर्ल्स इस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, डंडियामई, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।

विषयः- **बी0एड0 पाठ्यक्रम में एन0सी0टी0ई0 रेगूलेशन 2014 के अर्न्तगत द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार **डा0 राजेन्द्र वीर सिंह गर्ल्स इस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, डंडियामई, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद** को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अर्न्तगत बी0एड़0 पाठ्यक्रम मे 100 सीटों (50-50 दो यूनिट) की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजनार्न्तगत एन0सी0टी0ई0 के पत्र संख्या 90346-435 दिनांक 03 मार्च, 2015 के तद्क्रम में दिनांक 01.07.2015 से आगामी दो वर्षो हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं :-

(1) महाविद्यालय में विद्यमान कमियों (यथा अग्निशमन प्रमाण पत्र कालातीत हो चुका है, शिक्षकों के नियुक्ति पत्र संलग्न नही हैं, तृतीय श्रेणी कर्मचारी की सूची नही हैं) का निराकरण सम्बद्धता जारी होने की तिथि से एक वर्ष में महाविद्यालय पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करेगा। ऐसा न करने पर महाविद्यालय का अगले शैक्षणिक सत्र में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(2) संस्था/ महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेंगी/करेगा।

(3) महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार शैक्षिक सत्र 2015-16 में होने वाली प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यार्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन पाठन कराया जायेगा।

(4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्ते एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(5) संस्था/महाविद्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानक एवं प्रवेश तथा परीक्षाओं आदि से सम्बंन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या:सम्बद्धन/248/2016
दिनांक:.....24/12/201

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य
डा0 राजेन्द्र वीर सिंह गर्ल्स इस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, दड़ियामई, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।

विषय:- डा0 राजेन्द्र वीर सिंह गर्ल्स इस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, दड़ियामई, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद को कला एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0(हिन्दी, अंग्रेजी, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल) एवं बी0एससी0(बायो/मैथ) पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार डा0 राजेन्द्र वीर सिंह गर्ल्स इस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, दड़ियामई, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद को कला एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0(हिन्दी, अंग्रेजी, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल) एवं बी0एससी0(बायो/मैथ) पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो कि निम्नवत है, सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

प्राचार्य/शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है, प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं है, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रमाण संलग्न नहीं है।

यह सम्बद्धता (सत्र 2015-16 से) दिनांक 01.07.2015 से तीन वर्ष के लिए निम्नलिखित के अधीन प्रभावी होगी :-

(1) महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से छः माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।

(2) महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी में इंगित कमियों तथा शिक्षक/प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की प्रक्रिया छः माह में पूर्ण कर ली जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी व अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(3) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(4) संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

(5) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।

(6) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित, असत्य थी एव ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाई की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।

(7) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा एवं संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।

(8) संस्था परिसर को रैंगिग मुक्त रखेगी एवं महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।

(9) महाविद्यालय आल इण्डिया सर्वे ऑफ हायर ऐजूकेशन(ए0आई0एस0एच0ई0) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी0सी0एफ0 - II पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही है।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. सचिव/प्रबन्धक, डा0 राजेन्द्र वीर सिंह गर्ल्स इस्टीट्यूट आफ एजूकेशन, दड़ियामई, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. वेबसाईट प्रभारी डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. उप/सहायक कुलसचिव/सम्बद्धन/परीक्षा।
9. अधीक्षक सम्बद्धन विभाग।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

क्रमांक : [illegible] 634/2015

दिनांक : 2/3/15

प्राचार्य/प्रचार्या/सचिव,
Dr. Rajendra Veer Singh Girls
Instt. of Education
Shikohabad,
Firozabad

विषयः- महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित B.Ed. Course पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर तक विभिन्न विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उक्त विषयक आप अपने पत्र संख्या —NIL— दिनांक 02/3/2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको सूच्य है कि निम्नवत् अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित पदों पर नियुक्ति हेतु कुलपति महोदय ने अपना अनुमोदन सहर्ष प्रदान कर दिया है। अतः चयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र एवं पद भार ग्रहण की सूचना सम्बद्धन विभाग में प्रेषित करना अनिवार्य है।

क्रमांक	नाम अभ्यर्थी	पद विषय	स्तर
1.	Dr Latika Singh	Principal/H.O.D.	U.G. level
2.	Parul Sharma	Lecturer	" "
3.	Divya Kulshrestha	Lecturer	" "
4.	Anjna Chauhan	Lecturer	" "
5.	Rajneesh Kumar	Lecturer	" "
6.	Monika Verma	Lecturer	" "
7.	Shashi Kant Sharma	Lecturer	" "
8.	Firoz Khan	Lecturer	" "
9.	Agendra Pratap Singh Chauhan	Lecturer	" "
10.	Reena Sengar	Lecturer	" "
11.			

नोट :- अनुमोदितों को पुनरावृत्ति किसी अन्य संस्था में [illegible]

भवदीय